



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243799  
CG-DL-E-23022023-243799

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 779]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 फरवरी, 2023

का.आ. 812(अ).—विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उतने उपक्रम, जो सोसाइटी का भाग है या उससे संबंधित है और ऐसे उपक्रमों के संबंध में सोसाइटी का अधिकार, हक और हित भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 7 के कारण केंद्रीय सरकार को अंतरित हो गए थे और उसमें निहित हो गए थे ;

और, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. संख्यांक 2717(अ), तारीख 13 जून, 2022, द्वारा प्रकाशित, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र की स्थापना को अधिसूचित किया था।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऐसे उपक्रमों के संबंध में जो उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रम और अधिकार, हक और हित, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र में निहित हो जाएंगे।

[फा. सं. ए-60011/24/2022-आई.आई.ए.सी./भाग-1]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2023

**S.O. 812(E).**—Whereas, by virtue of the Section 7 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019) on the specified date, so much of the undertakings of the International Centre for Alternative Dispute Resolution as form part of, or are relatable to the Society, and the right, title, and interest of the Society in relation to such undertakings were transferred to, and vested in, the Central Government;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Law and Justice vide notification number S.O. 2717(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2022 published in part-II, Section 3, Sub-section (ii) in the Gazette of India notified the establishment of the India International Arbitration Centre in exercise of the power under sub-section (1) of section 3 of the said Act.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, the Central Government hereby directs that the undertakings and the right, title and the interest of the International Centre for Alternative Dispute Resolution in relation to such undertakings which had vested in the Central Government under section 7 of the said Act, shall vest in the India International Arbitration Centre with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-60011/24/2022-IIAC/Part-1]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.